न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 046/2025 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 19.05.2025
G.C.M.S. NO. :- 2025/46

मोतीलाल पिता जयकिशन जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी उत्तरवाड़ा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बडीसादडी बमिसल क्रमांक 1/2025 निर्णय दिनांक 21.04.2025

उपस्थितिः–1– श्री हीरालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 15.12.2025

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का ग्राम उत्तरवाड़ा पटवार हल्का महुड़ा के आराजी नम्बर 1173/213 रकबा 0.01 है. में से रकबा 0.008 है. किस्म शमशान भूमि पर नाजायज कब्जा मानते हुए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 21.04.2025 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

प्र. सं. 46/2025 (रा. अ.)
मोतीलाल पिता जयकिशन ब्राह्मण निवासी उत्तरवाड़ा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, बडीसादडी से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बडीसादडी ने पटवार हल्का महुड़ा की रिपोर्ट के आधार पर मौजा उत्तरवाड़ा की आराजी संख्या 1173/213 रकबा 0.01 हैक्टेयर में से रकबा 0.008 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं लगान का 50 गुणा जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादित भूमि शमशान भूमि होना मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है जबकि उक्त विवादित भूमि शमशान की भूमि नहीं होकर अपीलांट एवं अन्य खातेदारान के संयुक्त खातेदारी की होकर अपीलांट व अन्य खातेदारान का कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात के संबंध में बंटवाडे का वाद पत्र सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होकर स्थगन आदेश प्रभावी है तथा स्थगन आदेश प्रभावी होते हुए किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्यायालय आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि शमशान की भूमि होना मानते हुए तथा स्थगन आदेश प्रभावी होते हुए भी जुर्माना व बेदखली का आदेश पारित किया है जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.04.2025 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय होकर शमशान की भूमि है जिस पर अपीलांट ने कच्ची दीवार बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

प्र. सं. 46/2025 (रा. अ.)
मोतीलाल पिता जयकिशन ब्राह्मण निवासी उत्तरवाड़ा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलांट ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब एवं दस्तावेज पेश किये हैं। अतः अपीलांट का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलांट ने स्वयं विवादित भूमि पर उसका व अन्य खातेदारान का संयुक्त कब्जा होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

पटवार हल्का महुड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उत्तरवाड़ा की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1173/213 रकबा 0.01 हैक्टेयर में से रकबा 0.008 है. किस्म शमशान भूमि पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर कच्ची दीवार का निर्माण कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि–सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का विवादित आराजीयात शमशान की भूमि नहीं होकर उनके संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होकर सक्षम न्यायालय में बंटवाडे का वाद पत्र विचाराधीन होना तथा स्थगन आदेश प्रभावी होना बताया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि बंटवाडे के वाद पत्र के अन्तर्गत उक्त विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1173/213 का कहीं अंकन नहीं है तथा स्थगन आदेश भी उक्त विवादित आराजीयात के संबंध में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1173/213 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म शमशान भूमि है तथा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत लम्बित कार्यवाहियां एक तरह की संक्षिप्त कार्यवाही (Summary

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Proceedings) है जिन्हें बिना किसी ठोस/पर्याप्त कारण के बहुत अधिक लम्बे समय तक लम्बित रखा जाना उचित नहीं है।

पटवार हल्का महुड़ा की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम उत्तरवाड़ा की आराजी नम्बर 1173/213 रकबा 0.01 हैक्टेयर में से रकबा 0.008 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। यह भूमि शमशान की भूमि होकर प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2025 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(प्रभा गौतम)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official